(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड ३, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, १५ जनवरी, २००१

अधिसूचना

सा.का.नि. ५२- स्याह जीरा एवं काला जीरा श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम का प्रारुप कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग २, खंड ३, उपखंड (i) तारीख १३ मई, २००० के पृष्ठ ८५६-८६८ पर सा.का.नि. संख्यांक १६७ के अधीन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसकी उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को १७ मई, २००० को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

१. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भः** (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्याह जीरा (करुम कार्वी लिन्न) और काला जीरा (करुम बुल्वों कस्टानुम कोच) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, २००० है ।

(२) ये स्याह जीरा और काला जीरा साबुत और पिसे हुए को लागू होंगे ।

(३) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

२. **परिभाषाएंः**- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से या अपेक्षित न हो -

(१) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(२) "एगमार्क लेबल" और "एगमार्क प्रतिकृति" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ में यथाविनिर्दिष्ट एगमार्क लेबल और एगमार्क प्रतिकृति अभिप्रेत है;

(३) " अनुमोदित रसायनज्ञ" से एगमार्क श्रेणीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रसायनज्ञ अभिप्रेत है;

(४) "अनुमोदित प्रयोगशाला" से एगमार्क श्रेणीकरण करने के लिए स्याह जीरा साबुत और/या

-----२

स्याह जीरा पाउडर की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(५) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों में विनिर्दिष्ट श्रेणी मानक और प्रक्रिया के अनुसार स्याह जीरा का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;

(६) "प्राधिकार प्रमाण-पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को साबुत स्याह जीरा या उसके पाउडर का श्रेणी अभिधान चिन्ह से श्रेणीकरण करने का प्राधिकार देता है; (७)

"साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियमों" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ के अधीन बनाए गये साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ अभिप्रेत है;

(८) "श्रेणी अभिधान चिन्ह" से यथास्थिति इन नियमों के नियम ५ के उपनियम (१) में निर्दिष्ट लेबल या नियम ५ के उपनियम (२) में निर्दिष्ट एगमार्क प्रतिकृति अभिप्रेत है;

(९) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

३. **श्रेणी अभिधान चिन्हः** श्रेणी अभिधान चिन्ह इन नियमों के प्रयोजन के लिए उन श्रेणियों के नाम होंगे जो अनुसूची २ से ५ तक के स्तम्भ १ के नीचे दिए गए स्याह जीरा साबुत या स्याह जीरा पाउडर की क्वालिटी को उपदर्शित करते हैं ।

४. **क्वालिटी की परिभाषाः** इन नियमों के प्रयोजन के लिए क्वालिटी की परिभाषा वह होगी जो अनुसूची २ और ४ के स्तम्भ २ से १० तथा अनुसूची ३ और ५ के स्तम्भ २ से ८ में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने दी गई है ।

५. **श्रेणी अभिधान चिन्हः** (१) श्रेणी अभिधान चिन्ह अनुसूची-१ (क) में भाग १ में यथा विनिर्दिष्ट एगमार्क लेबल के रुप में होगा जिस पर वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और उस पर अनुसूची १ (क) के भाग १ में यथा विनिर्दिष्ट डिजाइन के सदृश होगा जिसमें "एगमार्क " शब्द के साथ भारत के मानचित्र का रेखाचित्र और उदय होते हुए सूर्य का चित्र होगा; या

(२) नियम ५ के उपनियम (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस संबंध में सम्यक् रुप से प्राधिकृत कोई अधिकारी साधारण श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम १० के उपनियम (४) में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी प्राधिकृत पैकर को एगमार्क लेबल के स्थान पर अनुसूची १(ख) के भाग २ में यथा विनिर्दिष्ट एगमार्क प्रतिकृति, जिसमें प्राधिकार प्रमाण-पत्र का संख्यांक सम्मिलित करते हुए डिजाइन "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अभिधान होग, को उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

६. **पैक करने की पद्धतिः** (१) स्याह जीरा, साबुत, मजबूत स्वच्छ और शुष्क जूट, कपड़े के थैलों, पालिथिलीन या पालिप्रापिलीन या खाद्य श्रेणी प्लास्टिक सामग्री से बने पाउचों में पैक किया जाएगा;

-----३

(२) स्याह जीरा पाउडर नए, स्वच्छ, मजबूत और शुष्क टीन, शीशे के बने आधानों में या पटलित बहिर्वेधन धात्वीकृत मेटेलाइज्ड बहुपरत खाद्य श्रेणी प्लास्टिक सामग्री से बने पाउचों में पैक किया जाएगा;

(३) आधान, कीटग्रसन, फफूंदी संदूषण, हानिकारक पदार्थ या किसी अवांछनीय/अप्रिय गंध जो कि अन्तर्वस्तु की नुकसानी कर सकती है, से मुक्त होंगे;

(४) पैकेज वस्तु नियम, १९७७ के अनुसार आधान में पैक किए गये स्याह जीरा साबुत और/या पाउडर का शुद्ध वजन २५ ग्राम, ५० ग्राम, १०० ग्राम, ५०० ग्राम, १ किलोग्राम हो या उसके बाद ५०० ग्राम के गुणक में होगा और उसमें समय-समय पर किए संशोधनों के अनुसार होगा;

(५) प्रत्येक पैकेज में केवल एक ही श्रेणी का या तो साबुत या पिसा हुआ स्याह जीरा अंतर्विष्ट होगा;

(६) प्रत्येक पैकेज मजबूती से बंद किया जाएगा और समुचित रुप से महुरबंद किया जाएगा;

(७) उपयुक्त संख्या के छोटे उपभोक्ता पैकेज जिनमें एक ही श्रेणी अभिधान और एक ही लॉट/बैच के उत्पाद हों एक बहुखंड पैकेज में पैक किए जा सकेंगे ।

७. **चिन्हांकन की पद्धतिः** (१) श्रेणी अभिधान चिन्ह, कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम ११ के अनुसार अनुमोदित रीति से स्याह जीरा साबुत या पाउडर के प्रत्येक आधान पर मजबूती से चिपकाया या मुद्रित/स्टेंसिल किया जाएगा;

(२) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टयां प्रत्येक आधान पर भी स्पष्ट और अमिट रुप से अंकित की जाएंगीः-

(क) पैकिंग का स्थान;
(ख) पैकिंग की तारीख;
(ग) -------------- माह ------------------वर्ष से पूर्व उत्तम;
(घ) लॉट/बैच संख्या;
(ड.) शुद्ध भार;
(च) अधिकतम फुटकर कीमत सभी करों सहित; और
(ज) उत्पादक/प्राधिकृत पैकर का नाम और पता ।

(३) चिन्हांकन के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही की क्वालिटी ऐसी होगी कि वस्तु को संदूषित न करती हो;

(४) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस संबंध में सम्यक् रुप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम ११ के अनुसार आधानों पर अपने प्राइवेट चिन्ह को चिन्हित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि वह प्राइवेट व्यापार चिन्ह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों/आधानों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित वस्तु की क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न न हो ।

८. **प्राधिकार प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए विशेष शर्तें:** साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम ३ के उपनियम (८) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन स्याह जीरा और काला जीरा

------४

के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र की मंजूरी हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी, अर्थात् :-

(क) प्राधिकृत पैकर या तो स्याह जीरा और काला जीरा की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए कृषि विपणन सलाहकार अथवा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा रक्षित अपनी स्यवं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या इन प्रयोजनों के लिए किसी अनुमोदित प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा;

(ख) प्रसंस्करण और पैक करने के लिए परिसरों को पूर्णतया स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ दशाओं में रखा जाएगा;

(ग) इस प्रक्रियाओं में लगे कार्मिक अच्छे स्वास्थ्य के और किसी भी संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ।

------५

भाग-१

अनुसूची-१ (क)

(नियम ५ (१) देखिए)

श्रेणी अभिधान चिन्ह
(एगमार्क लेबल पर डिजाइन)

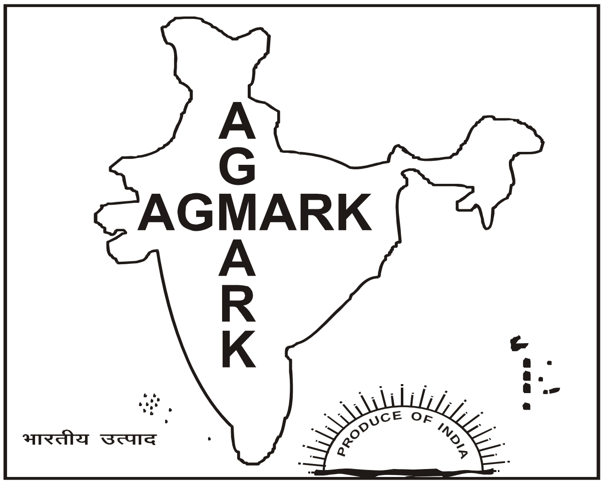

भाग-२

अनुसूची-१ (ख)
(नियम ५ (२) देखिए)

श्रेणी अभिधान चिन्ह
(एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन)

वस्तु का नाम --------------------
श्रेणी --------------------

------६

अनुसूची-२
(नियम ३ और ४ देखिए)

स्याह जीरा साबुत (करुम कार्वी लिन्न) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा							
	नमी, द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	कुल भस्म द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (अधिकतम)	अम्ल में अघुलनशील भस्म, द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	कीट द्वारा क्षत बीज द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	विजातीय खाद्य बीज द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	वाष्पशील तेल मि.ली. १०० ग्रा. (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (न्यूनतम)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
स्पेशल	१०.०	१.०	०.५	७.०	१.५	०.५	०.५	२.५
स्टेंडर्ड	१२.०	१.५	१.०	८.०	१.५	१.५	०.५	१.५

----७

साधारण अपेक्षाएं

१०

स्याह जीरा साबुतः-

(१) वनस्पतिशास्त्र में "करुम कार्वी लिन्न" के नाम से ज्ञात अम्बलिफेरी परिवार के पौधे के परिपक्व सूखे हुए बीज होंगे,

(२) स्वच्छ, स्वस्थ और साधारणतः वस्तु के लक्षणों के अनुसार रंग और सुगन्ध के अनुरुप होंगे,

(३) तीक्ष्ण और मधुर, रुचिकर सौरभ के लक्षण वाले और ऐरोमेटिक वास युक्त होंगे,

(४) विकृतगंधी स्वाद, फफूंदी युक्त गन्ध और अप्रियवास से मुक्त होंगे,

(५) गन्दगी, फफूंदी वृद्धि, कीट संदूषण, कृन्तक संदूषण, रंजक युक्त सामग्री, अन्य किस्म की स्याह जीरा के मिश्रण और अन्य अपदूषण सिवाय उस सीमा तक जो इस अनुसूची में उपदर्शित की गई है, से मुक्त होंगे,

(६) अच्छी और विक्रय दशा में होंगे और सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होंगे,

(७) अपलाटॉक्सिन अंतर्वस्तु, धात्विक संदूषण और कीटनाशी अवशिष्ट के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में यथाविहित निर्बन्धनों के अनुपालन में होगा ।

स्पष्टीकरण :

१. अकार्बनिक बाह्य पदार्थ - से बालू, पत्थर, धूल गंदगी और मिट्टी की ढेलियां अभिप्रेत है ।

२. कार्बनिक बाह्य पदार्थ - से घास बीज, भूसी, वृन्त, तिनके तथा अन्य पादपों का वनस्पतिक पदार्थ अभिप्रेत हैं ।

३. कीटक्षत - से स्याह जीरा साबुत जो कीटों द्वारा भागतः या पूर्णतः बेधित या क्षतिग्रस्त है, अभिप्रेत है ।

-----८

अनुसूची-३

(नियम ३ और ४ देखिए)

स्याह जीरा पाउडर (करुम कार्वी लिन्न) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	नमी, द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	कुल भस्म द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (अधिकतम)	अम्ल अविलेय भस्म द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (अधिकतम)	अपरिष्कृत रेशे द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (अधिकतम)	अवाष्पशील ईथर एक्सट्रेक्ट द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (न्यूनतम)	वाष्पशील तेल मि.ली./ १०० ग्रा. (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (न्यूनतम)
१	२	३	४	५	६	७
स्पेशल	१०.०	७.०	१.५	२०.०	१७.५	२.५
स्टेंडर्ड	१२.०	८.०	१.५	२५.०	१०.०	१.५

साधारण अपेक्षाएं

८

स्याह जीरा पाउडर :-

१. "करुम कार्वी लिन्न" पौधे के शुद्ध, सूखे, साफ, साबुत स्याह जीरा बीजों को पीस कर प्राप्त किया हुआ पाउडर होगा,

२. तीक्ष्ण, मधुर और रुचिकर, सौरभ और सुरुचिकर सुगंध लक्षण वाला होगा,

३. विकृतगंधी, फफूंदीयुक्त गंध और अप्रियवास से मुक्त होंगे,

४. गन्दगी, फफूंदी वृद्धि, कीट संदूषण, कृन्तक संदूषण, अन्य अपदूषण, रंजकयुक्त सामग्री और परिरक्षकों से मुक्त होगा,

५. अच्छी और विक्रय दशा में होगा और सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगा,

६. अपलाटॉक्सिन अन्तर्वस्तु, धात्विक संदूषण और कीटनाशी अवशिष्ट के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में यथाविहित निर्बन्धनों के अनुपालन में होगा ।

-----९

अनुसूची-४

(नियम ३ और ४ देखिए)

काला जीरा साबुत (करुम बुल्बोकस्टानुम) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा

	नमी, द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	कुल भस्म द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (अधिकतम)	अम्ल में अघुलनशील भस्म, द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	कीट द्वारा क्षत बीज द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	विजातीय खाद्य बीज द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत (अधिकतम)	वाष्पशील तेल मि.ली. १०० ग्रा. (शुष्क आधार पर) प्रतिशत (न्यूनतम)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
स्पेशल	१०.०	१.०	२.०	८.०	१.२५	१.०	२.०	२.५
स्टेंडर्ड	१२.०	१.५	५.०	९.०	१.५०	४.०	३.०	१.५

-----१०

साधारण अपेक्षाएं
१०

काला जीरा साबुतः-

(१) वनस्पतिशास्त्र में “करुम बुल्बोकस्टानुम डब्लू कोच” के नाम से ज्ञात हरवेसियस पौधे के सूखे हुए परिपक्व बीज होंगे,

(२) स्वच्छ, स्वस्थ और साधारणतः वस्तु के अनुसार रंग और सुगन्ध के अनुरुप होंगे,

(३) विकृतगंधी स्वाद, फफूंदी युक्त गन्ध और अप्रियवास से मुक्त होंगे,

(४) गन्दगी, फफूंदी वृद्धि, कीट संदूषण, कृन्तक संदूषण, रंजक युक्त सामग्री, अन्य किस्म के जीरा के मिश्रण और अन्य अपद्रव्यों, सिवाय उस सीमा तक जो इस अनुसूची में उपदर्शित की गई है, से मुक्त होंगे,

(५) अच्छी और विक्रय दशा में होंगे और सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होंगे,

(७) अपलाटॉक्सिन अंतर्वस्तु, धात्विक संदूषण और कीटनाशी अवशिष्ट के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में यथाविहित निर्बन्धनों के अनुपालन में होगा ।

स्पष्टीकरण :

१. अकार्बनिक बाह्य पदार्थ - से बालू, पत्थर, धूल गंदगी और मिट्टी की ढेलियां अभिप्रेत है ।

२. कार्बनिक बाह्य पदार्थ - से घास के बीज, भूसी, वृन्त, तिनके तथा अन्य पादपों का वनस्पति पदार्थ अभिप्रेत हैं ।

३. कीटक्षत - से काला जीरा साबुत जो कीटों द्वारा भागतः या पूर्णतः बेधित या क्षतिग्रस्त है, अभिप्रेत है ।

४. विजातीय खाद्य बीज - से काला जीरा बीज से भिन्न विजातीय खाद्य बीज अभिप्रेत है ।

-----११

अनुसूची-५
(नियम ३ और ४ देखिए)

काला जीरा पाउडर (करुम बुलबोकस्टानुम) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा					
	नमी, द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत	कुल भस्म द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत	अम्ल अविलेय भस्म द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत	अपरिष्कृत रेशे द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत	अवाष्पशील ईथर एक्सट्रेक्ट द्रव्यमान (शुष्क आधार पर) प्रतिशत	वाष्पशील तेल मि.ली./ १०० ग्रा. (शुष्क आधार पर) प्रतिशत
	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(न्यूनतम)	(न्यूनतम)

१	२	३	४	५	६	७
स्पेशल	१०.०	८.०	१.२५	२०.०	१७.५	२.५
स्टेंडर्ड	१२.०	९.०	१.५०	२५.०	१०.०	१.५

साधारण अपेक्षाएं

८

काला जीरा पाउडर :-

१. "करुम बुल्बोकस्टानुम" पौधे के शुद्ध, सूखे, साफ, काला साबुत जीरा बीजों को पीस कर प्राप्त किया हुआ पाउडर होगा,

२. तीक्ष्ण, मधुर और रुचिकर, सौरभ और सुरुचिकर सुगंध लक्षण वाला होगा,

३. विकृतगंधी, फफूंदीयुक्त गंध और अप्रियवास से मुक्त होंगे,

४. गन्दगी, फफूंदी वृद्धि, कीट संदूषण, कृन्तक संदूषण, अन्य अपदूषण, रंजकयुक्त सामग्री और परिरक्षकों से मुक्त होगा,

५. अच्छी और विक्रय दशा में होगा और सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगा,

६. अपलाटॉक्सिन अन्तर्वस्तु, धात्विक संदूषण और कीटनाशी अवशिष्ट के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में यथाविहित निर्बन्धनों के अनुपालन में होगा ।

(फा.सं.-१८०११/५/९५-एम.-II)

पाल जोसेफ, संयुक्त सचिव